

उपखण्ड अहकाम नम्बर 55/2022
हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

10-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फारुख
उप./अनुपस्थित। पोंठासीन अधिकारी
बीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
हैं। पत्रावली प्रतिम कार्यवाही हो
दिनांक..12.10.22को पेश हो।

12-10-22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फारुख
उप./अनुपस्थित। पोंठासीन अधिकारी
बीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
हैं। पत्रावली प्रतिम कार्यवाही हो
दिनांक..17.10.22को पेश हो।

17.10.2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्
उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब अप्रार्थी संख्या 4 व बइन्तार नोटिस
तामील पत्रावली दिनांक 09.11.2022 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

09.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्
उपस्थित। वास्ते पेश होने जवाब अप्रार्थी संख्या 4 व बइन्तार नोटिस
तामील पत्रावली दिनांक 09.11.2022 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

14.11.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान्
उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा मूल
वादपत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी)
सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर
स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र को खारिज किया जा चुका है।
अतः ऐसी स्थिति में मूल वादपत्र के खारिज हो जाने पर इस प्रार्थना

—समाप्त—



FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

~~प्रमूदयाल कसेरा चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम केदारनाथ वगै०~~
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 55/2019 उनवानी प्रकरण
प्रमूदयाल कसेरा चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीमाधोपुर बनाम केदारनाथ वगै० संन

को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले शुमार होकर बांद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 55/2019 उनवानी प्रकरण प्रमूदयाल कसेरा चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीमाधोपुर बनाम केदारनाथ वगै० को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बांद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर